

फा.सं.L-110102(2)/2/2016-Trade (E-246)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 20 मार्च, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत में आयात के लिए पशु आहार एडिटिव्स/प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स की अतिरिक्त सूची के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत में आयात के लिए पशु आहार एडिटिव्स/ प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स की समेकित सूची इस विभाग के दिनांक 21 दिसंबर, 2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) के जरिए जारी की गई थी। इसके अलावा, दिनांक 10 नवंबर, 2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) के जरिए एक अतिरिक्त सूची जारी की गई थी।

2. इसके अनुक्रम में, भारत में आयात के लिए पशु आहार एडिटिव्स /प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स की एक और अतिरिक्त सूची इसके साथ संलग्न है।
3. विनिर्माता अंतिम रूप से तैयार पैक पर उसकी सामग्री के बारे में और यदि किसी विशेष मद के लिए कोई ज़रूरी विद्वॉल अवधि है, तो उसके बारे में भी एक लेबल लगाएगा।
4. भारत में पशु आहार एडिटिव्स/ प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स का आयात अनुबंध में दी गई सूची के अनुसार सख्ती से विनियमित किया जाएगा।
5. पशु आहार एडिटिव्स/ प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स की अनुबंध में दी गई सूची इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।
6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि

गण गार्ग
20-03-2025

(डॉ. गण गार्ग)

उप-आयुक्त (व्यापार)

जारी.....

वितरण:

- सभी क्षेत्रीय अधिकारी / संगरोध अधिकारी, पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा, दिल्ली / मुंबई / बेंगलुरु / चेन्नई / कोलकाता / हैदराबाद

प्रतिलिपि ध्यानार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. भारतीय औषधि महानियंत्रक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार, एफडीए भवन, आईटीओ, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002, ई-मेल: dcic@nic.in
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफडीए भवन, आईटीओ, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002, ई-मेल: ceo@fssai.gov.in
3. महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली। ई-मेल: dqft@nic.in
4. संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। ई-मेल: jscus@nic.in
5. उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-10001, ई-मेल: d2tod-doc@nic.in
6. एनआईसी, डीएचडी को इस अनुरोध के साथ कि इसे विभाग और एक्यूसीएस की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
7. भारतीय सीएलएफएमए, 111, मित्तल चेंबर्स, 11वां तल, 228, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021
8. भारतीय पशु स्वास्थ्य कंपनी महासंघ (INFAH), 311, मास्टरमाइंड IV, रॉयल पाम, आईटी पार्क, आरे कॉलोनी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ:

1. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. अपर सचिव (सीएंडडीडी/व्यापार) / पशुपालन आयुक्त / संयुक्त सचिव (एलएच) / संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव /निजी सचिव

अनुबंध

भारत में आयात के लिए संस्तुत पशु आहार एडिटिव्स, प्रीमिक्स और आहार सप्लीमेंट्स की सूची (इस विभाग के दिनांक 21.12.2022 और 10.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में)

उत्पाद की श्रेणी	उत्पाद का नाम	टिप्पणी
प्रीबायोटिक्स (फीड ग्रेड)	सोडियम ग्लूकोनेट फीड ग्रेड	सभी फार्म पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाना है।
प्रोबायोटिक्स (फीड ग्रेड)	बेसिलस सबिटिलस, विजमेनिया कोगुलन्स (पर्यायवाची बेसिलस सिआगुलन्स)	सभी पशु प्रजातियां
	लेक्टोबेसिलस बुचनेरी पीडियोकोकस पेटोसेसियस	जुगाली करने वाले पशु। संयोजन (combination) की भी सिफारिश की जाती है।
	बेसिलस वेलेजेनिसिस DSM 15544	पालतू कुत्तों/बिल्लियों के आहार के लिए इस्तेमाल किया जाना है
इमल्सीफायर (फीड ग्रेड)	ग्लिसरील पॉलीएथीलीन ग्लाइकोल रिसिनोलेट	सभी पशु प्रजातियां।
	क्विलाजा सेपोनारिया मोलीना से सेपोनिन्स	सभी पशु प्रजातियां।
कलरिंग एजेंट (फीड ग्रेड)	β-एपीओ-8-कैरोटिनोइक एसिड इथाइल एस्टर 10%	पोल्ट्री
	कैनथेक्सैथिन	पोल्ट्री, जलकृषि और पालतू पशु
	एस्टेक्सैथिन	जलकृषि
एंटीऑक्सीडेंट (फीड ग्रेड)	लीथोथेम	पोल्ट्री, सूअर, जुगाली करने वाले पशु यह अवशिष्ट हानि और फास्फोरस सामग्री पर BIS दिशानिर्देशों के पालन के अध्यक्षीन है।
फॉस्फेट (फीड ग्रेड)	मैग्नीशियम फॉस्फेट	पोल्ट्री, गोपशु, भेड़, स्वाइन, मछली, झींगा BIS दिशानिर्देशों के पालन के अध्यक्षीन है।

	मोनो डाईकैल्शियम फॉस्फेट 21% (MDCP 21%)	गोपशु, भेड़,स्वाइन, पोल्ट्री,मछली, झींगा, बिल्ली, कुत्ता
	मोनोकैल्शियम फॉस्फेट 22.7%	गोपशु, भेड़,स्वाइन, पोल्ट्री,मछली, झींगा, बिल्ली, कुत्ता
प्रीबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट (फीड ग्रेड)	कैल्शियम ह्यूमोफॉस्फेट	पोल्ट्री
खनिज (फीड ग्रेड)	डाईमेंगनीज क्लोराइड ट्राई हाइड्रोऑक्साइड	सभी पशु प्रजातियां
	डाई कॉपर क्लोराइड ट्राई हाइड्रोऑक्साइड	सभी पशु प्रजातियां
	जिंक क्लोराइड हाइड्रोऑक्साइड मोनोहाइड्रेट	सभी पशु प्रजातियां
	कोबाल्ट कार्बोनेट (कोबाल्ट: 5%)	फंक्शनल रुमेन युक्त जुगाली करने वाले पशु, अश्ववंश (equidae), लैगोमॉर्फ, कृतक (rodents), शाकाहारी, सरीसृप (reptiles) और चिड़ियाघर के पशु
एंटीऑक्सीडायल (फीड ग्रेड)	मोनेनसिन (8%) और निकार्बजिन (8%) का संयोजन	ब्रॉयलर और टर्की
एंटीबायोटिक / एंटीबैक्टीरियल (फीड ग्रेड)	टिलवालोसिन (टारट्रेट के रूप में) 10% और टिलवालोसिन (टारट्रेट के रूप में) 17%	पोल्ट्री निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाए; (1) उत्पाद विद्वॉल प्रोटोकॉल सुनिश्चित करे, (2) सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए, (3) उत्पाद विशिष्टताओं का अनुपालन (4) आयात करने वाली फर्म DAHD को वास्तविक आयात विवरण प्रस्तुत करेगी
अन्य (फीड ग्रेड)	ग्वानिडिनो एसिटिक एसिड 85%	ब्रॉयलर, सूअर।

.....

फा.सं.L-110102(2)/2/2016-Trade (E-246)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10 नवंबर, 2023


कार्यालय जापन

विषय: भारत में आयात के लिए पशु आहार एडिटिक्स /प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स की अतिरिक्त सूची के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत में आयात के लिए पशु आहार एडिटिक्स/ प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स की समेकित सूची इस विभाग के दिनांक 21 दिसंबर, 2022 के समसंख्यक कार्यालय जापन (प्रति संलग्न) के जरिए जारी की गई थी।

2. इसके अनुक्रम में, भारत में आयात के लिए पशु आहार एडिटिक्स /प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स, जिनका पशु आहार में इस्तेमाल किया जाना है, की एक और अतिरिक्त सूची इसके साथ संलग्न है।
3. विनिर्माता अंतिम रूप से तैयार पैक पर उसकी सामग्री के बारे में और यदि किसी विशेष मद के लिए कोई ज़रूरी विज़ॉल अवधि है, तो उसके बारे में भी एक लेबल लगाएगा।
4. भारत में पशु आहार एडिटिक्स/ प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स का आयात अनुबंध में दी गई सूची के अनुसार सख्ती से विनियमित किया जाएगा।
5. पशु आहार एडिटिक्स/ प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स की अनुबंध में दी गई सूची इस कार्यालय जापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।
6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि


10-11-2023
(डॉ. गगन गर्ग)
उप-आयुक्त (व्यापार)

जारी.....

वितरण:

- सभी क्षेत्रीय अधिकारी / संगरोध अधिकारी, पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा, दिल्ली / मुंबई / बेंगलुरु / चेन्नई / कोलकाता / हैदराबाद

प्रतिलिपि ध्यानार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. भारतीय औषधि महानियंत्रक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार, एफडीए भवन, आईटीओ, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002, ई-मेल: dcic@nic.in
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफडीए भवन, आईटीओ, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002, ई-मेल: ceo@fssai.gov.in
3. महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली। ई-मेल: dgft@nic.in
4. संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। ई-मेल: jscus@nic.in
5. उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-10001, ई-मेल: d2tod-doc@nic.in
6. एनआईसी, डीएचडी को इस अनुरोध के साथ कि इसे विभाग और एक्यूसीएस की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
7. भारतीय सीएलएफएमए, 111, मित्तल चैंबर्स, 11वां तल, 228, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021
8. भारतीय पशु स्वास्थ्य कंपनी महासंघ (INFAH), 311, मास्टरमाइंड IV, रॉयल पाम, आईटी पार्क, आरे कॉलोनी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ:

3. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
 4. अपर सचिव (बीजे) / पशुपालन आयुक्त / संयुक्त सचिव (ओपीसी) / संयुक्त सचिव (जीएनएस) / संयुक्त सचिव (एससी) के प्रधान निजी सचिव /निजी सचिव
-

भारत में आयात के लिए संस्तुत पशु आहार एडिटिव्स, प्रीमिक्स और आहार सप्लीमेंट्स की सूची (इस विभाग के दिनांक 21 दिसंबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में)

उत्पाद की श्रेणी	उत्पाद का नाम	टिप्पणी
खनिज (फीड ग्रेड)	मैग्नीशियम सल्फेट फीड ग्रेड	
	ज़िंक ऑक्साइड फीड ग्रेड	
प्रोबायोटिक (फीड ग्रेड)	लैक्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबेसिलस बुचनेरी, बेसिलस प्यूमिलस, क्लोस्ट्रिडियम बटीरिकम, बिफिडोबेक्टेरियम पशु, एंटरोकोकस फेसियम, पेडीकोकम एसिडिलेक्टिसी, लैक्टोबेसिलस रियूटेरी, लैक्टोबेसिलस सेलीवेरियस	जुगाली न करने वाले पशुओं और जुगाली पूर्व बछड़े-बछड़ियों के लिए ही प्रोबायोटिक की सलाह दी जाती है तथा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
प्रीबायोटिक्स (फीड ग्रेड)	पेप्टाइड्स ऑफ यीस्ट ऑरिजन	
	यीस्ट- न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लोसाइड्स	
	ड्राईड एस्पेरगिलस ओरिजे फर्मेंटेशन एक्स्ट्रेक्ट	
ग्रोथ प्रमोटर (फीड ग्रेड)	स्वीट चेसनट एक्स्ट्रेक्ट	
फीड एसिडिफायर (फीड ग्रेड)	ट्रिब्यूटिरिन 60%	
इमल्सीफायर (फीड ग्रेड)	बाइल एसिड	DAHD द्वारा जारी किए गए स्वच्छता आयात परमिट के साथ संलग्न स्वच्छता शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन। इसके अलावा, बाइल एसिड विसंक्रमित होना चाहिए।
एंजाइम (फीड ग्रेड)	एमाइलेस फीड एंजाइम	
	प्रोटीज फीड एंजाइम	
	म्युरेमिडीज फीड एंजाइम	
	जाइलेनीज फीड एंजाइम	

.....

फा.सं.L-110102(2)/2/2016-Trade (E-246)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 21 दिसंबर, 2022

कार्यालय जापन

विषय: भारत में आयात के लिए पशु आहार एडिटिव्स /प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स की अतिरिक्त सूची के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत में आयात के लिए पशु आहार एडिटिव्स/ प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स की समेकित सूची की समीक्षा की गई है।

2. कतिपय पशु आहार एडिटिव्स /प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स और एंटीबायोटिक, जिन्का पशु आहार में इस्तेमाल किया जाना है, की सूची में जोड़ने और घटाने के बाद समेकित सूची इसके साथ संलग्न है।


3. विनिर्माता अंतिम रूप से तैयार पैक पर उसकी सामग्री के बारे में और यदि किसी विशेष मद के लिए कोई ज़रूरी विज़ॉल अवधि है, तो उसके बारे में भी एक लेबल लगाएगा।

4. भारत में पशु आहार एडिटिव्स/ प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स का आयात अनुबंध में दी गई सूची के अनुसार सख्ती से विनियमित किया जाएगा।

5. पशु आहार एडिटिव्स/ प्रीमिक्स/ सप्लीमेंट्स की अनुबंध में दी गई सूची इस कार्यालय जापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि


21-10-22
(डॉ. गगन गर्ग)
उप-आयुक्त (व्यापार)

जारी.....

वितरण:

- सभी क्षेत्रीय अधिकारी / संगरोध अधिकारी, पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा, दिल्ली / मुंबई / बेंगलुरु / चेन्नई / कोलकाता / हैदराबाद

प्रतिलिपि ध्यानार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. भारतीय औषधि महानियंत्रक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार, एफडीए भवन, आईटीओ, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002, ई-मेल: dcic@nic.in
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफडीए भवन, आईटीओ, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002, ई-मेल: ceo@fssai.gov.in
3. महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली। ई-मेल: dgft@nic.in
4. संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। ई-मेल: jscus@nic.in
5. निदेशक (सीमा शुल्क), राजस्व विभाग। ई-मेल: dircus@nic.in
6. निदेशक, व्यापार नीति प्रभाग (TPD), वाणिज्य विभाग। ई-मेल: d2tod-doc@nic.in
7. एनआईसी, डीएचडी को इस अनुरोध के साथ कि इसे विभाग और एक्यूसीएस की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
8. भारतीय सीएलएफएमए, 111, मित्तल चेंबर्स, 11वां तल, 228, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021
9. भारतीय पशु स्वास्थ्य कंपनी महासंघ (INFAH), 311, मास्टरमाइंड IV, रॉयल पाम, आईटी पार्क, आरे कॉलोनी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ:

5. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
6. अपर सचिव (वीजे) / पशुपालन आयुक्त / संयुक्त सचिव (ओपीसी) / संयुक्त सचिव (यूबी) / संयुक्त सचिव (जीएनएस) के प्रधान निजी सचिव / निजी सचिव

भारत में आयात के लिए संस्तुत पशु आहार एडिटिव्स, प्रीमिक्स और आहार सप्लीमेंट्स की सूची

उत्पाद की श्रेणी	उत्पाद का नाम	टिप्पणियां, यदि कोई हो
अमीनो एसिड (फीड ग्रेड)	L-लाइसिन मोनो एचसीएल 99% फीड ग्रेड	
	L-लाइसिन सल्फेट 65% फीड ग्रेड	
	L-लाइसिन सल्फेट 80% फीड ग्रेड	
	मेथियोनीन 90% फीड ग्रेड	
	DL-मेथियोनीन 99% फीड ग्रेड	
	L-मेथियोनीन 99% फीड ग्रेड	
	L-मेथियोनीन 90%, फीड ग्रेड	
	L-वेलिन 98% फीड ग्रेड	
	मिथाइल हाइड्रॉक्सी एनालॉग 88% फीड ग्रेड	
	मिथाइल हाइड्रॉक्सी एनालॉग कैल्शियम सॉल्ट	
	84% फीड ग्रेड	
	L-थ्रेओनीन 98.5% फीड ग्रेड	
	L-ट्रिप्टोफैन 98% फीड ग्रेड	
	आइसोल्यूसीन 98.5% टाइट्रेशन विधि द्वारा या 90% HPLC विधि द्वारा-फीड ग्रेड	
L-लाइसिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड 98.5% फीड ग्रेड	यदि L-लाइसिन बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो अंतिम रूप से तैयार उत्पाद में उत्पादन स्ट्रेन के जीवित सेल्स और DNA की संभावित मौजूदगी को देखते हुए	

	इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाएगी।
L- लाइसिन सल्फेट 70% फीड ग्रेड	यदि L-लाइसिन बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो अंतिम रूप से तैयार उत्पाद में उत्पादन स्ट्रेन के जीवित सेल्स और DNA की संभावित मौजूदगी को देखते हुए इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाएगी।
L- हाइजेनाइन 98.5% फीड ग्रेड	यह उत्पाद निर्यात करने वाले देश में फीड ग्रेड के तौर पर भी बेचा जा रहा है और इस बारे में सर्टिफिकेट हर खेप के साथ होना चाहिए।
डेयरी के लिए कोटेड अमीनो एसिड	

विटामिन प्रीमिक्स (फीड ग्रेड)	विटामिन A/D3 फीड ग्रेड 1000:200	
	विटामिन A एसिटेट 1000 फीड ग्रेड	
	विटामिन E 50% फीड ग्रेड	
	विटामिन C कोटेड 35% फीड ग्रेड	
	विटामिन D3 0.5mg/gm फीड ग्रेड	
	विटामिन B2-80% फीड ग्रेड	
	बायोटिन 2% और 10% फीड ग्रेड	
	विटामिन प्रीमिक्स फीड ग्रेड (फॉर्मूला के अनुसार)	

	कोलीन क्लोराइड 50% और 60% कॉर्न कॉब फीड ग्रेड	
	विटामिन C 35% मोनोफॉस्फेट फीड ग्रेड	
	विटामिन B12 1% और 2% फीड ग्रेड	चूंकि विटामिन B12 बैक्टीरिया द्वारा किण्वन से बनता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि किण्वन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्ट्रेन सुरक्षित हो और अंतिम उत्पाद में एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन, उत्पादन स्ट्रेन के जीवित सेल्स या उनके DNA मौजूद न हों।
	25 हाइड्रॉक्सी विटामिन D3 1.25% फीड ग्रेड	
विटामिन	विटामिन AD3	इसका इस्तेमाल पशु आहार के निर्माण में अलग-अलग संयोजनों में आहार एडिटिव्स/प्रीमिक्स के तौर पर किया जा सकता है। हालांकि, सक्रिय औषध सामग्री (API) का आयात औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत मौजूदा नियमों के अनुसार होगा।
	विटामिन D	
	विटामिन A	
	विटामिन E	
	विटामिन K (MNB/MSB)	
	विटामिन B1	
	विटामिन B2	
	विटामिन B3 -नियासिन	
	विटामिन B5- कैलपैन	
	विटामिन B6	
	विटामिन H - बायोटिन	
	विटामिन B9 - फोलिक एसिड	
	विटामिन B12	

	विटामिन C (L-एस्कॉर्बिक एसिड/L-एस्कॉर्बिक एसिड फॉस्फेट)	
	विटामिन D 310	
चेलेटेड खनिज	ग्लाइसिनेटेड खनिज	इसकी संरचना मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, आयोडीन आदि के ग्लाइसिनेटेड मिश्रण या सिंगल मिनेरल ग्लाइसिनेट के रूप में अलग-अलग होती है।
	प्रोटीनेटेड खनिज	इसकी संरचना मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, आयोडीन आदि के साथ प्रोटीनयुक्त मिश्रण या सिंगल मिनेरल प्रोटीन के रूप में भिन्न होती है।
	प्रोटीनेटेड (सीस्ट आधारित) खनिज	इसकी संरचना मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, आयोडीन आदि के साथ प्रोटीनयुक्त मिश्रण या सिंगल मिनेरल प्रोटीन के रूप में भिन्न होती है।
	अमीनो एसिड चेलेटेड खनिज	इसकी संरचना मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, आयोडीन आदि के साथ मेथियोनीन या लाइसिन आधारित चेलेटेड मिश्रण या सिंगल अमीनो एसिड चलेट के साथ अलग-अलग होती है।
फॉस्फेट (फीड ग्रेड)	मोनो कैल्शियम फॉस्फेट (MCP) 22% फीड ग्रेड	
	डाई कैल्शियम फॉस्फेट (DCP) 18% फीड ग्रेड	
	सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 17% फीड ग्रेड	

	मोनो पोटेशियम फॉस्फेट 26% फीड ग्रेड	
	डाई पोटेशियम फॉस्फेट 17% फीड ग्रेड	
	कोलेस्ट्रॉल 95% फीड ग्रेड	
एंजाइम (फीड ग्रेड)	फाइटेज 5000 - 65000 FTU प्रति ग्राम फीड ग्रेड	उत्पादन स्ट्रेन (फाइटेज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला) और उसका रिकॉम्बिनेंट DNA उत्पाद में नहीं पाया जाना चाहिए।

एंटीबायोटिक/एंटीबैक्टीरियल (फीड ग्रेड)	क्लोर्टेट्रासाइक्लिन (CTC) 15% फीड ग्रेड	
	क्लोपिडोल 25% फीड ग्रेड	
	डिक्लाज़रिल 1% फीड ग्रेड	
	टायलोसिन फॉस्फेट 10% प्रीमिक्स फीड ग्रेड	
एंटीकोक्सीडियल (फीड ग्रेड)	मदुरमाइसिन 1% फीड ग्रेड	इसका इस्तेमाल केवल ब्रॉयलर चिकन के लिए करें और बेचने/वध करने से पहले पांच-सात दिन की विदड़ॉल अवधि दी जानी चाहिए।
	सैलिनोमाइसिन 12% फीड ग्रेड	
	निकारबाज़िन - 25% तक फीड ग्रेड	इसे अकेले या नारसिन (फीड ग्रेड) के साथ मिलाकर 25% तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, निकारबाज़िन की अधिकतम खुराक 125mg/kg फीड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुर्गियों का वध करने से पहले इस्तेमाल के लिए 24 घंटे की विदड़ॉल अवधि का पालन किया जाना चाहिए।

मोर्नेसिन सोडियम 20% प्रीमिक्स फीड ग्रेड	अंडे देने वाले चिकन को यह न खिलाएं। 16 सप्ताह से ज्यादा आयु के चिकन को यह न खिलाएं। घोड़ों, अन्य इक्वाइन, बड़े टर्की या गिनी फाउल को मोर्नेसिन वाला आहार न खाने दें।
मोर्नेसिन सोडियम 40% फीड ग्रेड	अंडे देने वाली मुर्गियों को यह न खिलाएं। 16 सप्ताह से ज्यादा आयु की मुर्गियों को यह न खिलाएं। घोड़ों, अन्य इक्वाइन, बड़े टर्की या गिनी फाउल को मोर्नेसिन वाला आहार न खाने दें।
लोसोलासिड सोडियम 15% प्रीमिक्स फीड ग्रेड	
डेकोक्विनेट 6% फीड ग्रेड	
डिनिटोलमाइड 25% फीड ग्रेड (DOT)	
क्लोपिडोल 25% फीड ग्रेड	
एथोपाबेट 33% फीड ग्रेड	

हेलोफ्यूगिनिओन 6% फीड ग्रेड	इसे लेयर मुर्गियों को नहीं खिलाना है। ब्रायलर मुर्गियों में, वध करने से पहले पांच दिन की विदर्रॉल अवधि दी जानी चाहिए।
नरासिन 10% (फीड ग्रेड)	कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अनुसार, अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) 50 µg/kg (लिवर, फैट) और 15 µg/kg (मांसपेशियों) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
रोबेनिडाइन 10% प्रीमिक्स (फीड ग्रेड)	MRL (mg/kg वेट टिशु) लीवर के लिए 0.80, किडनी के लिए 0.35, मांसपेशियों के लिए 0.20 और त्वचा/वसा के लिए 1.30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

मेडिकेटिड फीड एडिटिव्स (फीड ग्रेड)	फ्लेवोफॉस्फोलिपोल 4% और 8% फीड ग्रेड	
	टियामुलिन हाइड्रोजन फ्यूमरेट - 10% फीड ग्रेड	पोल्ट्री में वध से पहले इस्तेमाल के लिए 72 घंटों की विदड़ाल अवधि का पालन करना चाहिए।
	बैम्बेरोमाइसिन 4% और 8% - फीड ग्रेड	पोल्ट्री में कम खुराक अर्थात् 1-2g/टन फीड में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
	लिनकोमाइसिन 11% - फीड प्रीमिक्स	कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अनुसार, अधिकतम अवशिष्ट सीमा (MRL) 100 µg/kg फैट, मांसपेशियों में 200 µg/kg, लीवर और किडनी में 500 µg/kg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
	टियामुलिन 10% फीड प्रीमिक्स	पोल्ट्री में वध से पहले इस्तेमाल के लिए 72 घंटों की विदड़ाल अवधि का पालन करना चाहिए।
	वर्जीनियामाइसिन 50% - फीड ग्रेड	पोल्ट्री में वध से पहले इस्तेमाल के लिए 5 दिन की विदड़ाल अवधि का पालन करना चाहिए।
	किटैसामाइसिन 8% फीड प्रीमिक्स	पोल्ट्री में वध से पहले इस्तेमाल के लिए 7 दिन की विदड़ाल अवधि का पालन करना चाहिए।
	एविलामाइसिन 10% फीड ग्रेड	कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अनुसार, अधिकतम अवशिष्ट सीमा (MRL) चिकन फैट/स्किन में 2000 µg/kg और लीवर में 300 µg/kg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

	स्पेक्टिनोमाइसिन 2.2% फीड प्रीमिक्स	कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अनुसार, लीवर, अंडे और फैट में अधिकतम अवशिष्ट सीमा (MRL) 2000 µg/kg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किडनी में 500 µg/kg और मांसपेशियों में 500 µg/kg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
	लिकोमाइसिन 2.2% (फीड प्रीमिक्स) और स्पेक्टिनोमाइसिन (फीड प्रीमिक्स) का संयोजन।	जैसा कि पहले बताया गया है।
	किटमाइसिन 15% (फीड ग्रेड)	पोल्ट्री में वध से पहले इस्तेमाल के लिए 7 दिन की विदड़ाल अवधि का पालन करना चाहिए।
	एनरामाइसिन 8% फीड ग्रेड	
प्रोबायोटिक्स (फीड ग्रेड)	बेसिलस एमाइलोलिक्वेफेशियस फीड ग्रेड प्रोबायोटिक्स	
	बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस फीड ग्रेड	
	बेसिलस प्यूमिलस	
	झाइड लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस किण्वन उत्पाद	
	झाइड एंटरोकोकस फेसियस किण्वन उत्पाद	
	झाइड लैक्टोबेसिलस प्लांटारम किण्वन उत्पाद	
	एंटरोकोकस फेशियम फीड ग्रेड	
खनिज (फीड ग्रेड)	एपोकैरोटेनोइक एस्टर फीड ग्रेड	
	बीटाकैरोटीन 10% फीड ग्रेड	
एंटीऑक्सीडेंट	प्रोपाइल गैलेट	
विशेष पशुधन आहार	बायपास फैट (ट्राइग्लिसराइड)	
अन्य	एंटीऑक्सीडेंट प्रीमिक्स- BHA, BHT और एथाक्सीक्विन का मिश्रण	
	टॉक्सिन बाइंडर फीड ग्रेड	
	एसिडिफायर फीड ग्रेड - जैविक अम्ल का मिश्रण	
	इनएक्टिव ड्राई यीस्ट (37-40% प्रोटीन) फीड ग्रेड	
	एक्टिव ड्राई यीस्ट - फीड ग्रेड	
	यीस्ट सेल वॉल - फीड में उपयोग के लिए	

	मन्नान-ओलिगोसेकेराइड्स (MOS) और फ्रक्टो-ओलिगोसेकेराइड्स (FOS)	
	HSCAS - फीड के इस्तेमाल के लिए हाइड्रोजन सोडियम कैल्शियम एमिनो सिलिकेट	
	रूमेन प्रोटेक्टेंट/बाईपास अमीनो एसिड - फीड ग्रेड	
	घुलनशील पदार्थों के साथ ड्राइड डिस्टिलर अनाज (DDGS)	
	कॉकटेल एंजाइम - फीड में इस्तेमाल के लिए एंजाइम का संयोजन	
	जैविक खनिज मिश्रण - फीड ग्रेड	
	ड्राइड बेसिलस सबटिलिस किण्वन उत्पाद (फीड ग्रेड)	
	मोल्ड इनहिबिटर फीड ग्रेड	
	ऑर्गेनिक सेलेनियम फीड ग्रेड	
	फीड के लिए ऑर्गेनिक ट्रेस मिनरल्स	
	डाइकैल्शियम फॉस्फेट (फीड ग्रेड)	
	ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट (फीड ग्रेड)	
	नोसिहेप्टाइड 1% फीड ग्रेड	
	बैक्टीरियोफेज (लाइटिक और टेम्परेट)	
	यूक्का शिडिगेरा / यूक्का पौधे का अर्क पेलेट बाइंडर	गोपशु आहार, पोल्ट्री आहार और एक्वा आहार में इस्तेमाल के लिए
	सोडियम डाइफॉर्मेट	
	पोटेशियम डाइफॉर्मेट	
	फाइबर डिग्रेडिंग एंजाइम का संयोजन (जैसे जाइलेनेज़, बीटा-ग्लूकानेज़, सेल्युलेज़, बीटा-मैननेज़, एमाइलेज़, लाइपेज़, प्रोटीएज़ आदि)	
	रूमेन बफर	गोपशु आहार में इस्तेमाल के लिए
	सॉल्ट लिक्स - गोपशुओं के लिए खनिज सप्लीमेंट्स (कैल्शियम, फास्फोरस, कोबाल्ट, तांबा, आयोडीन, मैंगनीज, जिंक)	
	फैटी एसिड (ओलिक एसिड, पामिटोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड) का कैल्शियम सॉल्ट	
	को-एंजाइम Q 10 (यूबिक्विनोन) 5% और 10% प्रीमिक्स (फीड ग्रेड)	
	कैल्शियम ब्यूटिरेट कोटेड (फीड ग्रेड)	
	सोडियम ब्यूटिरेट कोटेड 30% (फीड ग्रेड)	
	फैटी एसिड FFA पर आधारित बाईपास फैट > 80%	
	मोलेसिस ड्राइड यीस्ट - पशु आहार के लिए	
	सेलेनियम यीस्ट प्रीमिक्स (फीड ग्रेड)	
	बैसिलस सबटिलिस फीड ग्रेड	

	मछलियों के लिए शैवाल आधारित पूरक चारा (एज़ोला, क्लोरेला, फिलार्मेंटस शैवाल)	
	एसेंशियल ऑयल का मिश्रण जिसमें पौधों के अर्क और मसाले (थाइम, अजवायन, रोज़मेरी, थाइमोल, दालचीनी) शामिल हैं।	
	फ्यूमरिक एसिड	
	सैपोनिन 2-2.5%	
	पाम ऑयल फैटी एसिड, सोया ऑयल, सूरजमुखी तेल और मक्के के तेल से बने कैल्शियम सॉल्ट	
	बीटेन HCL 93-98%	
	डीऑयल लेसिथिन 90% सिलिकॉन	
	डाइऑक्साइड बेस पर	
	बीटेन एनहाइड्रस 96%	
	बाईपास फेट (फैटी एसिड आधारित)	
	कंजुगेटेड लिनोलेनिक एसिड 10% बाईपास फेट से कोटेड	
	ट्रिब्यूटिरिन 50%	
विशेष रूप से मछली के चारे में उपयोग के लिए (फीड ग्रेड)	मैग्नीशियम सल्फेट (एनहाइड्रस)	

नोट:

1. पशुओं और मनुष्यों में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के कारण, अब से, निम्नलिखित पशु आहार एडिटिव्स/आहार सप्लीमेंट्स को भारत में आयात करने की सलाह नहीं दी जाती है:-

उत्पाद की श्रेणी	उत्पाद का नाम	टिप्पणी
एंटीबायोटिक/एंटीबैक्टीरियल (फीड ग्रेड)	जिक बैसिट्रेसिन बीएमडी - बैसिट्रेसिन मिथाइल डिसेलिसिलेट	पहले, दिनांक 13 अगस्त, 2020 को जारी की गई सूची में इन उत्पादों की सिफारिश नहीं की गई थी।
एंटीकोक्सीडियल (फीड ग्रेड)	मैडुरामाइसिन और निकार्बाज़िन का कोई भी संयोजन	पशु स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ समिति (ECAH) के अंतर्गत नीतिगत इनपुट के लिए पशु चिकित्सा टीके/जैविक/दवाओं संबंधी जानकारी का आकलन और उनके संबंध में सिफारिश देने वाली उपसमिति की 17 मई, 2022 को आयोजित बैठक में इसकी समीक्षा की गई थी।

	<p>मैडुरामाइसिन>1%</p>	<p>पशु स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ समिति (ECAH) के अंतर्गत 'नीतिगत इनपुट के लिए पशु चिकित्सा टीके/जैविक/दवाओं संबंधी जानकारी का आकलन और उनके संबंध में सिफारिश' देने वाली उप-समिति की 17 मई, 2022 को आयोजित बैठक में इसकी समीक्षा की गई थी।</p>
--	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ऊपर संस्तुत पशु आहार एडिटिक्स और आहार सप्लीमेंट्स की पूरी तरह से तैयार खाद्य सामग्री में अधिकतम अवशिष्ट सीमा/सहनशीलता सीमा, जहां भी लागू हो, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) द्वितीय संशोधन विनियम, 2018 के अनुसार होगी।
